न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 47 / 2018 तारीख रजू :–26.11.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

बनाम

1. हरिमोहन सैनी पुत्र प्रभुलाल सैनी, जाति माली– एफबीओ व मालिक – फर्म जय अम्बे किराना एण्ड ज्यूस सेन्टर, रेल्वे फाटक बस स्टैण्ड बलरिया रोड विजय नगर चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर निवासी बलरिया रोड विजय नगर चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज0)।
2. राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन जाति जैन – एफबीओ व मालिक – फर्म–आर. के. एन्टरप्राईजेज सोरती बाजार, शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर निवासी सोरती बाजारख शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।
3. माधुराम भूराराम सैनी जाति माली– एफबीओ व मालिक–फर्म – M.D.R. Spices, H-527, Sarna Doongar Industrial Area, Jhotwara, Jaipur- 302012 निवासी यू. 48 ऑक्सफोर्ड स्कूल, गणेश विहार, हरमाडा, जयपुर (राज0) – 302013

......अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 16/5/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 28.05.2018 को समय 01.00 पी.एम पर फर्म जय अम्बे किराना स्टोर एण्ड ज्यूस सेन्टर, रेलवे फ़ाटक बस स्टैण्ड बलरिया रोड विजय नगर चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर पर श्री वेदप्रकाश पूविया एफएसओ कार्यालय सी.एमएच.ओ सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय हरिमोहन सैनी पुत्र श्री प्रभूलाल सैनी मौजूद मिला एवं आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया गया। आवेदक को विक्रेता ने खाद्यपदार्थ रजिसट्रेशन सर्टिफिकेट क्रमांक 22216067000276 की फोटो प्रति [illegible] प्रति दी । यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान [illegible] परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक के एक ही बैच के 08 पैकिट दुकान में एक लकडी के रैक [illegible] पर उक्त मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता द्वारा [illegible] खाद्य वस्तु Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक में से शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु सूचना जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर तथा स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर विक्रेता को दी गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लकडी की रैक में रखे हुये Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक के 08 पैकिटो में से 4 पैकिट शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बावत खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता के अनुसार बाजार भाव से 280/– रूपये अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की गई जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक के 4 पैकिटो को चार अलग अलग साफ सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बो में रखकर प्रत्येक डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर चार लेबलों को प्रत्येक डिब्बे से चिपकाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड एवं सिरियल नम्बर एच– 1429 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर करके चारों डिब्बों पर यथा स्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षकर किये एवं सीलबन्द डिब्बों को अपने कब्जें में लिया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियों तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की सील बन्द लिफाफा श्री गजानन्द लोधा बार्ड बॉय कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधेपुर के द्वारा दिनांक 29.05.2018 को खाद्य विश्लेषक कोटा (राजस्थान)के यहां जमा करवाये। यह हे कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बे (ii व iii पार्ट) मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 29.05.2018 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाया गया। यह है कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/3496 दिनांक 28.06.2018 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 347/FSSA/Kota/Act/2018/392 दिनांक 25.06.2018 खाद्य कारोबारकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति आवेदक को दी गई जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded Food u/s 3(1)(zf)(c)(i)of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया। यह है कि आवेदक ने फर्म जय अम्बे किराना स्टोर एण्ड ज्यूस सेन्टर, चौथ का बरवाडा के मालिक हरिमोहन सैनी को माल खरीद बिल फर्म के अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने बावत पत्र लिखा गया। यह है कि फर्म – जय अम्बे किराना स्टोर एण्ड ज्यूस सेन्टर चौथ का बरवाडा के मालिक हरिमोहन सैनी ने फर्म– आर.के एन्टरप्राईजेज, सोरती बाजार शहर सवाई माधोपुर द्वारा जारी माल खरीद बिल, अपनी [illegible] सर्टिफिकेट एवं स्वयं के फोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायप्रतियां उपलब्ध कर[illegible] यह है कि फर्म आर के एन्टरप्राईजेज सोरती बाजार शहर सवाई माधोपुर के मालिक राजेन्[illegible] जैन ने निर्माता फर्म– mdr spices h-527 Sarna Doongar Ind[illegible] Jhotwara, Jaipur द्वारा जारी माल खरीद बिल, अपने फर्म का वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं [illegible] के फोटो पहचान पत्र की स्वयंप्रमाणित छायाप्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उपलब्ध करवायी गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यवस्तु निर्माता M.D.R. Spices. H-527 Sarna Doonar Industrial Area Jhotwara Jaipur के मालिक को फर्म के दस्तावेज उपलब्ध करवाने बावत रजिस्टर्ड पत्र लिखा गया। यह है कि फर्म. M.D.R. Spices, H- 527 Sarna Doongar Industrial Area Jhotwara के मालिक मधुराम सैनी ने अपनी फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खाद्य पदार्थ लाईसेन्स मय फोटो पहचान पत्र एवं फर्म आर के एन्टरप्राईजेज सोरती बाजार शहर सवाई माधोपुर को जारी बिल की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करवायी गई। यह है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/ खाद्य कारोबारकार्ताओं ने मिथ्याछाप (Misbranded Food) प्रकृति की खाद्य वस्तु Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धरित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से श्री राधामोहन शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अभियुक्तगण ने जरिये वकील नोटिस का जवाब पेश किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण के वकील ने अपने बहस में तर्क दिया कि उसके पक्षकार की दुकान से लिये गये सेम्पल Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं पायी गयी है तथा एफएसएल रिपोर्ट में सभी रीडिंग्स मानक स्तर पर पायी गयी है। अंत में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण पर न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण के निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 347/FSSA/Kota/Act/2018/392 दिनांक 25.06.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक मिसब्राण्डेड पाया गया है, जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता तथा निर्माता गण ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 18:25:34 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आध[illegible] मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित [illegible] का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त [illegible]रित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व मानक नियम व विनियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत **अभियुक्त संख्या 1 पर 5000/–रू (अक्षरे पाँच हजार रूपये)** व **अभियुक्त संख्या 2 पर 5,000/–रू0 (अक्षरे पाँच हजार रूपये)** तथा मिसब्राण्डेड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Red Chilli powder (MDR Brand) 500 ग्राम पैक का निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व मानक नियम व विनियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत **अभियुक्त संख्या 3 पर 15000/–रू (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/5/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested